41

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/स्टांप अधि/2018/2529

संजीव सिंह चौहान पुत्र स्व श्री भीमसिंह चौहान आयु–41 वर्ष, निवासी हाथीखाना, शिवपुरी (म.प्र.)

---निगरानीकर्ता

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प कार्यालय जिला पंजीयक शिवपुरी (म.प्र.)
2. आनंद शिवहरे पुत्र श्री पूरन चंद शिवहरे निवासी–विनय नगर, सेक्टर नं. 4, ग्वालियर (म.प्र.) ---**प्रत्यार्थीगण**

दिनांक 23-4-18 को श्री करतार सिंह कादिर द्वारा प्रस्तुत।
23-4-18
पं०दि० 26-4-18 (26-4-18)

निगरानी अर्न्तगत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–03–2018 जो न्यायालय माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प जिला शिवपुरी के द्वारा प्रकरण क्रमांक/शिवपुरी/2018/बी–103/16–17 व उनवान मध्यप्रदेश शासन बनाम संजीव सिंह आदि में पारित आदेश के विरूद्ध

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, निगरानीकर्ता का प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, उषा राजे चैरिटेबल ट्रस्ट, शिवपुरी का एक प्लाट जिला क्षेत्रफल 25×60 वर्गफुट पोहरी रोड, हाथीखाना में स्थित है। उपरोक्त प्लाट को निगरानीकर्ता के द्वारा 2,17,500/– रूपये में क्रय किया है जिसके अग्रिम धनराशि हेतु 15,000/– रूपये दिनांक 21–07–2012 को प्रत्यार्थी क्रमांक 2 को अदा किये गये है तथा शेष विक्रय धनराशि 3 माह की समयावधि में बयनामें के समय देना तय हुआ है।

2– यह कि, उक्त प्लाट के संबंध में प्रत्यार्थी क्रमांक 2 के द्वारा निगरानीकर्ता से जो 15,000/– रूपये की नगद राशि प्राप्त की गई थी। उसके संबंध में प्रत्यार्थी क्रमांक 2 के द्वारा रसीदी टिकट लगाकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर एक रसीद निगरानीकर्ता को लिखकर दी थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक एक–निगरानी/शिवपुरी/स्टाम्प अधि/2018/2529

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-8-18	यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 18/ बी–103/16–17 में पारित आदेश दिनांक 7–3–2018 के विरूद्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में हुये नवीन सॅशोधन के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील पंजीयन विभाग के संभागीय पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होगी। आवेदक चाहे – सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन योग्य न होने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	